सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बैंक ऋण: वर्तमान स्थिति तथा भावी दिशा*

के. सी. चक्रवर्ती

डॉ.पी.एम. मैथ्यू, निदेशक, आइएसईडी, डॉ. के.एम.काबरा,अध्यक्ष, आइएसईडी, श्री टी.ओ.सूरज, निदेशक, उद्योग और वाणिज्य, केरल सरकार, डॉ. येर्रम राजू, वरिष्ठ फेलो, आइएसईडी, वरिष्ठ बैंकर, एमएसएमई उद्यमी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, बहनो और भाइयो, मुझे आज आपके संस्थान की भारत के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम संबंधी रिपोर्ट श्रृंखला के तेरहवें अंक का विमोचन करने के लिए आपके बीच उपस्थित होने में वस्तुतः बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। एमएसएमई की सीमाओं तथा प्रतिबंधों को देखते हुए उसे पेशेवर समर्थन की जरूरत है ताकि वे अपने पर्यावरण का विश्लेषण कर सकें, अपनी जरूरतें बता सकें तथा उससे बननेवाली नीतियों के प्रभाव को समझ सकें। मुझे खुशी है कि आपके संस्थान द्वारा इस प्रकार का समर्थन दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

2. किसी देश की अर्थव्यवस्था में छोटे और सूक्ष्म उद्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण यह है कि वे न सिर्फ बड़ी संख्या में अकुशल और अर्ध-कुशल लोगों को रोजगार देते हैं अपितु कच्चे माल, मूलभूत वस्तु, तैयार पुर्जों और घटकों आदि की आपूर्ति करके बड़े उद्योगों को सहायता भी प्रदान करते हैं। रोजगार उत्पन्न करने, निर्यात तथा आबादी के बड़े भाग को आर्थिक शक्ति प्रदान करने में भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका और स्थान सुविदित है। इस क्षेत्र में लगभग 2.6 करोड़ उद्यम हैं। विनिर्मित उत्पादन का 45 प्रतिशत तथा सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) का 8 प्रतिशत इस क्षेत्र से आता है। एमएसएमई देश के कुल निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत का अंशदान करता है और इसमें लगभग 6 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है जिसका कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा स्थान है। एमएसएमई स्थानीय मांग और उपभोग के सीजन के लिए समावेशक वृद्धि का सर्वोत्तम माध्यम है। एमएसएमई विशिष्ट बाजारों की जरूरतें पूरी करता है। कल के एमएसएमई आज बड़ी कंपनियों का रूप ले चुके हैं तथा कल वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों

* 21 मई 2010 को कोच्चि में इंस्टिट्यूट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज एण्ड डेवलपमेंट (आइएसईडी) की भारत के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम संबंधी रिपोर्ट 2010 के औपचारिक विमोचन के समय डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का संबोधन। इस संबोधन को तैयार करने में श्रीमती एल.वडेरा द्वारा दी गई सहायता साभार स्वीकार की जाती है।

(एमएनसी)का रूप ले सकते हैं। इस प्रकार बैंकों तथा अन्य एजेंसियों को एमएसएमई को सेवा प्रदान करने में गर्व का अनुभव करना चाहिए क्योंकि वे कल के एमएनसी के निर्माण में सहायक भूमिका अदा कर रहे हैं।

3. अतः भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 बनाया जाना बिल्कुल उपयुक्त कदम था। देश में संतुलित, धारणीय, अधिक समतापूर्ण और समावेशक वृद्धि के लक्ष्य की प्राप्ति में सार्वजनिक नीति के तहत इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना सही कदम है। सूक्ष्म तथा लघु उद्यम क्षेत्र (एमएसई) को दिए गए अग्रिमों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम के रूप में माना जाता है तथा रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे एमएसई क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिमों का कम से कम 60 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान करें।

4. बढ़ते हुए वैश्वीकरण के युग में, जिसमें प्रतिस्पर्धा और नवोन्मेष का बोलबाला है, एमएसई के सामने नयी और अलग-अलग प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं। अपने छोटे आकार की वजह से उपस्कर, कच्चा माल, वित्त और परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने में बड़े पैमाने की किफायतों का लाभ उठाने में अलग-अलग एमएसई को दिक्कतें महसूस हो रही हैं। बहुधा, वे ऐसे बाजार संबंधी अवसरों का लाभ उठाने में संभाव्य बाजारों की पहचान करने में असमर्थ होते हैं, जिनके लिए बड़े परिमाण, सतत गुणवत्ता, एकरूप मानकों और आश्वासित आपूर्ति की अपेक्षा की जाती है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एमएसई के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी और संगठनात्मक कार्यों यथा डिजाइन, लॉजिस्टिक्स तथा विपणन में सुधार की प्रतिस्पर्धात्मकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

5. एमएसई भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी की खरीद सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए तथा कार्यशील पूंजी आदि के लिए प्रमुख रूप से बैंक वित्त पर निर्भर होते हैं। उचित दरों पर समय पर ऋण की उपलब्धता इस क्षेत्र की जरूरत है। मार्च 2009 के अंत में, एमएसई क्षेत्र को 2,56,128 करोड़ रुपए का कुल बकाया ऋण सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदान किया गया, जो समायोजित निवल बैंक ऋण का 11.4 प्रतिशत है। इस प्रकार, एमएसएमई को ऋण प्रवाह 2006-07 के 1,27,000 करोड़ रुपए से दुगुना होकर 2008-09 में 2,57,000 करोड़ रुपए हो गया। 2007-08 में इस क्षेत्र को 2,13,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया। सितंबर 2009 में कुल बकाया ऋण 3,23,565 करोड़ रुपए था तथा फरवरी 2010 में यह और बढ़कर 3,69,866 करोड़ रुपए हो गया। वैश्विक वित्तीय संकट के बावजूद, भारतीय बैंकर प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि मौजूद थी तथा बैंक अर्थक्षम परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के इच्छुक थे। प्रणाली के भीतर ऋण की कमी न होने के बावजूद ऋणदाताओं और एसएमई उधारकर्ताओं की अवधारणा में अंतर मौजूद है। जहां उधारदाताओं ने यह महसूस किया कि इस क्षेत्र को ऋण में वृद्धि हो रही है, वहीं एसएमई उधारकर्ताओं ने महसूस किया कि उधारदाता एसएमई के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं तथा वे बड़ी कंपनियों की जरूरतें पूरी करने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। चूंकि सिर्फ 4-5 प्रतिशत एमएसएमई को संस्थागत निधीयन की सुविधा उपलब्ध है क्योंकि लगभग 95 प्रतिशत गाँवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, अतः इस बात की जरूरत है कि समर्थक नीतियां बनाकर इस अंतराल को पाटा जाए। रिज़र्व बैंक ने हाल ही में सभी एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया है कि वे मार्च 2011 तक 2000 से अधिक आबादीवाले प्रत्येक गांव में बैंकिंग आउटलेट के जरिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु मार्च 2010 तक रूपरेखा तैयार करने के लिए जिला परामर्शदात्री समितियों (डीसीसी) की उप समिति का गठन करें। जरूरी नहीं है

कि इस प्रकार की बैंकिंग सेवाएं ईंट और गारे वाली शाखा के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएं, ऐसी सेवाएं बीसी माध्यम सहित आइसीटी-आधारित मॉडलों के विभिन्न प्ररूपों में से किसी भी मॉडल के जरिए उपलब्ध करायी जा सकती हैं। रिज़र्व बैंक बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर कड़ी निगरानी रखेगा। एमएसएमई क्षेत्र को मेरा संदेश यह है कि उनके परिचालनात्मक लागतों का बहुत छोटा हिस्सा, लगभग 4 प्रतिशत, ब्याज लागत है, अतः उन्हें बैंकिंग क्षेत्र से कम ब्याज दरों की मांग नहीं करनी चाहिए, बजाए इसके उन्हें प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण की मांग करनी चाहिए। ऋण अर्थक्षम परियोजनाओं पर स्वतःपरिसमापनीय होना चाहिए तथा उसकी एक लागत होती है।

6. जहां तक ऋण की लागत का संबंध है, वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार 2 लाख रुपये तक के सभी ऋणों पर बैंक के मूल उधार दर से अनधिक ब्याज लगाया जाता है। 2 लाख रुपये तक के अधिक ऋणों पर ब्याज दरों को अविनियमित किया गया है और बैंकों को निधियों की लागत, जोखिम लागत, लेनदेन लागत आदि के आधार पर ब्याज दरें निर्धारित करने की आजादी दी गई है। साथ ही, बैंकों को सूचित किया गया है कि 1 जुलाई 2010 से बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) प्रणाली की जगह पर आधार दर प्रणाली लागू की जाएगी, जिसके तहत बैंक आधार दर के संदर्भ में ऋणों और अग्रिमों पर उनकी वास्तविक उधार दरों का निर्धारण करेंगे। चूंकि आधार दर सभी वाणिज्यिक ऋणों के लिए न्यूनतम दर होगी, अतः बैंक आधार दर से नीचे की दर पर कोई उधार नहीं दे सकेंगे। तदनुसार 2 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए अधिकतम दर के रूप में बीपीएलआर की वर्तमान शर्त हटा ली जाएगी। ऐसी आशा है कि उधार ब्याज दरों को विनियमित करने से उचित दर पर छोटे उधारकर्ताओं को ऋण के प्रवाह में वृद्धि होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपाय

7. रिज़र्व बैंक ने रोजगार प्रधान व्यष्टि और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को ऋण सुपुर्दगी बढ़ाने के लिए हाल में कई उपाय किए हैं। एमएसई क्षेत्र की एक प्रमुख चिंता यह है कि वे संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा तीसरे पक्षकार की गारंटी की व्यवस्था करने में असमर्थ होते हैं। फलस्वरूप, नए उद्यमियों को बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर इस प्रकार के दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनके द्वारा एमएसई क्षेत्र (विनिर्माण और सेवा उद्यम दोनों) की इकाइयों को 5 लाख रुपए तक की संपार्श्विक-मुक्त ऋण स्वीकृत करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है। साथ ही, बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे इकाइयों के अच्छे पिछले रिकार्ड तथा उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर 25 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान कर सकते हैं। हमसे इस प्रकार की जांच-पड़ताल की गई है कि उक्त दिशानिर्देश सलाह के स्वरूप के हैं अथवा अधिदेशात्मक स्वरूप के। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत यथापरिभाषित एमएसई क्षेत्र (विनिर्माण और सेवा उद्यम दोनों) की इकाइयों को स्वीकृत 5 लाख रुपए तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋणों के संबंध में ये दिशानिर्देश अधिदेशात्मक स्वरूप के हैं तथा बैंकों को एमएसई क्षेत्र की सभी इकाइयों को दिए गए 5 लाख रुपए तक के ऋणों के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं लेनी चाहिए।

8. व्यष्टि और लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि न्यास की ऋण गारंटी योजना की समीक्षा के लिए तथा इसका उपयोग बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक कार्यदल का गठन किया गया। उक्त कार्यदल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसे 6 मार्च 2010 को जारी किया गया। कार्यदल की कुछ मुख्य सिफारिशों में व्यष्टि और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को दिए जानेवाले संपार्श्विक-मुक्त

ऋणों की सीमा वर्तमान 5 लाख रुपए से दुगुना करके 10 लाख रुपए करना, गारंटी कवर में वृद्धि करना, कुछ शर्तों के अधीन व्यष्टि और लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) द्वारा संपार्श्विक मुक्त ऋणों के लिए लागू गारंटी शुल्क का अवशोषण, सीजीटीएमएसई के पास दावा दायर करने के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया का सरलीकरण तथा इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना आदि शामिल हैं। उक्त कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने संपार्श्विक-मुक्त ऋणों की सीमा 6 मई 2010 को 5 लाख रुपए के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने के बारे में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं तथा ये दिशानिर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए अधिदेशात्मक हैं। अन्य सिफारिशों के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने के लिए सीजीटीएमएसई को सूचित किया गया है। कार्यदल की सिफारिशों के कार्यान्वयन से ऐसी आशा है कि ऋण गारंटी योजना का उपयोग बढ़ेगा और वर्तमान में शामिल तथा वर्जित एमएसई को ऋण की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि होना संभव होगा जिससे अंततः धारणीय समावेशक वृद्धि होगी।

9. रिज़र्व बैंक ने रुग्ण एसएमई के पुनर्वास पर एक कार्यदल (अध्यक्षः डॉ. के.सी.चक्रवर्ती) का गठन किया था तथा उक्त कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर बैंकों को सूचित किया गया है कि वे स्थिति की समीक्षा करें और एक ऐसी ऋण नीति बनायें जिसमें ऋण सुविधाओं का विस्तार करना, संभाव्य रूप से अर्थक्षम रुग्ण इकाइयों/ उद्यमों के पुनर्जीवन के लिए उनकी पुनर्रचना/ पुनर्वास तथा अनर्जक ऋणों की वसूली के लिए अविवेकाधीन एकबारगी निपटान योजना शामिल हों।

10. अद्यतन स्थिति के अनुसार 41 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने एमएसई के बारे में एक समर्पित ऋण नीति बनाने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन कर लिए जाने, 40 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने पुनर्वास/ पुनर्रचना की स्थापना की अपेक्षा का अनुपालन कर लिए जाने और 39 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने अनर्जक ऋणों की वसूली के लिए अविवेकाधीन एकबारगी निपटान योजना बना लिए जाने की सूचना दी है। अनर्जक ऋणों की वसूली के लिए अविवेकाधीन एकबारगी निपटान योजना बना लिए जाने की अपेक्षा का अनुपालन कर लिए जाने की सूचना देनेवाले 39 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में से, 30 बैंकों ने अपने बैंकों की वेबसाइटों पर उक्त नीति डाल दिया जाना सूचित किया है।

उस कार्यदल ने यह भी सिफारिश की है कि नए-नए विचारों के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई प्रकार की निधियां बनायी जाएं यथा क) राष्ट्रीय इक्विटी निधि, ख) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि, ग) विपणन विकास निधि, घ) पुनर्वास निधि, ङ) जोखिम पूंजी मध्यवर्ती वित्त, आदि।

11. चूंकि रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास में हुई प्रगति की रफ्तार धीमी पाई गई, अतः रिज़र्व बैंक द्वारा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित अधिकारप्राप्त समितियों की अगुवाई करनेवाले क्षेत्रीय निदेशकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि बैंकों द्वारा एमएसई क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए समय पर कार्रवाई करने का प्रयास किया जाए, तथा वास्तविक ठोस परिणामों में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए एक विश्वसनीय, सक्रिय और कार्यपरक निगरानी प्रक्रिया तैयार की जाए। इस पर केंद्रीय कार्यालय के स्तर पर निगरानी रखी जा रही है।

12. लघु उद्यम क्षेत्र की वृद्धि दर को प्रभावित करनेवाले ऋण से इतर संबद्ध कारक हैं- पॉवर तथा अन्य बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की अनुपलब्धता, विभिन्न एजेंसियों से अनुमोदन मिलने में देरी, उद्यमिता विकास की कमी, बुनियादी ढांचागत एवं ऐतिहासिक/ सामाजिक अवरोध आदि। इस प्रकार समाधान इस बात में मौजूद है कि केंद्र और राज्य सरकार लाइसेंसीकरण एवं प्रलेखन संबंधी

अपेक्षाओं, निकासी नीति और श्रम कानूनों को आसान बनाएं, सार्वजनिक वित्त संबंधी सिद्धांतों के अनुरूप एक दक्ष कर ढांचा तैयार करें, उपयुक्त बुनियादी ढांचा का विकास करें आदि।

भारत सरकार तथा एमएसई

13. क्षेत्र के महत्व तथा क्षेत्र के सामने मौजूद विभिन्न अवरोधों को देखते हुए, भारत सरकार ने विभिन्न एमएसएमई संघों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए तथा कार्रवाई के लिए कार्यसूची तैयार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कार्यबल का गठन किया। उक्त कार्यबल ने 30 जनवरी 2010 को प्रस्तुत अपनी अंतिम रिपोर्ट में ऋण, कराधान, विपणन, श्रम, निकासी नीति, बुनियादी ढांचा / कौशल विकास तथा उत्तर-पूर्व और जम्मू और काश्मीर के लिए विशेष पैकेज आदि संबंधी मुद्दों पर कई सिफारिशें की हैं। कार्यबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने एमएसएमई के संबंध में एक स्थायी दल का गठन किया है। उक्त स्थायी दल ने विशेष तौर पर कार्यबल द्वारा ऋण के संबंध में की गई तीन महत्वपूर्ण सिफारिशों पर विचार किया है तथा यह निर्णय लिया गया है किः

i. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण के संबंध में साल-दर-साल 20 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए ताकि ऋण प्रवाह में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

ii. सूक्ष्म उद्यमों को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को चरणबद्ध तौर पर एमएसई उधार का 60 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यमों को देना चाहिए अर्थात् वर्ष 2010-11 में 50 प्रतिशत, वर्ष 2011-12 में 55 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 में 60 प्रतिशत।

iii. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए।

उक्त क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुकर बनाने के लिए कार्यबल की सिफारिशों से काफी मदद मिलने की आशा है तथा भारत सरकार द्वारा उक्त सिफारिश के कार्यान्वयन पर सर्वोच्च स्तर पर निगरानी रखी जा रही है।

भावी दिशा

14. अगले दो दशकों में 8-10 प्रतिशत की वृद्धि दर पाने के लिए भारत के पास एक सुदृढ़ एमएसएमई क्षेत्र होने की जरूरत है, जिसके बिना उक्त लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। देश में लगभग 3 करोड़ एमएसएमई हैं। पिछले पांच सालों में एसएमई ने 18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शायी है। लगभग 98 प्रतिशत उत्पादन इकाइयां एसएमई क्षेत्र में हैं।

15. पूरे देश में उद्यमिता की बाढ़ आ गई है, जो ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों तक फैली है। इसका पोषण और वित्तीयन किया जाना चाहिए। सभी आकार के उद्यमों की वृद्धि करके ही प्रतिस्पर्धा बढ़ायी जा सकती है। आज का एक छोटा उद्यमी कल एक बड़ा उद्यमी बनेगा तथा वित्तीय समर्थन मिलने पर वह अंततः बहुराष्ट्रीय उद्यम भी बन सकता है। परंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि सफलताएं और असफलताएं भी हो सकती हैं। अतः बैंकों को अपनी जोखिम आकलन और जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना होगा तथा अपने जोखिम प्रबंधन के अंग के रूप में इन विफलताओं के लिए प्रावधान करना होगा। जोखिम के बावजूद, नये उद्यमियों का वित्तपोषण वित्तीय समावेशन और वृद्धि के लिए आवश्यक है।

16. एमएसएमई क्षेत्र में, विफलता की दर अपेक्षाकृत अधिक है - जिसके कारण ऋण की देरी से/ अपर्याप्त

उपलब्धता से लेकर आगे एवं पीछे की समर्थन प्रणाली की अनुपलब्धता तक हो सकती है। जोखिम के बावजूद, नये उद्यमियों का वित्तपोषण वित्तीय समावेशन और वृद्धि के लिए आवश्यक है। सूचना की असममिति तथा आंकड़ों की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता का अभाव विश्व भर में एमएसएमई से निपटने वाले संगठनों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। एसएमई के सामने आने वाली वित्तीय बाधाओं का मुख्य कारण काफी सामान्य है तथा सबसे बड़ा कारण यह अवधारणा है कि एसएमई ऐतिहासिक रूप से उच्च जोखिम वाला समूह है, जिसमें वित्तीय अनुशासन की कमी है तथा जो विश्वसनीय पिछला वित्तीय रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में असमर्थ होते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए, एसएमई ऋण ब्यूरो जैसी पर्याप्त और विश्वसनीय ऋण सूचना प्रक्रिया होनी चाहिए, जो एसएमई और संभाव्य उधारकर्ता दोनों की ज़रूरतें पूरी करे। आइएसईडी जैसे निकाय रेटिंग, एसएमई नीतियों एवं योजनाओं जैसे विभिन्न सुसंगत मुद्दों पर जानकारी दे सकते हैं, परामर्श आदि दे सकते हैं। पारदर्शिता से उन्हें वित्त प्राप्त करने, अनुकूल ठेके प्राप्त करने तथा कारोबारी संभावना में सुधार लाने में सुविधा होगी। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अच्छी ऋण सूचना संबंधी बुनियादी ढांचे का पूंजी प्राप्त करने में एसएमई को मदद करने में उल्लेखनीय अंशदान हो सकता है। साथ ही रिपोर्ट में इस बात पर भी बल दिया गया है कि ऋण सूचना तक पहुंच रखनेवाली छोटी फर्में ऋण प्राप्त करने के लिए 40 प्रतिशत आशा रख सकती हैं, जबकि ऋण ब्यूरों तक पहुंच न रखनेवाली फर्मों के ऋण प्राप्त करने की संभावना सिर्फ 28 प्रतिशत रहती है। अतः एमएसएमई ऋण ब्यूरो की स्थापना से एमएसएमई को उधार संबंधी कार्यकलाप बढ़ाने के अच्छे अवसर मिलते हैं।

17. विपत्ति आने पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सर्वाधिक नुकसान झेलना पड़ता है। इन्हें कारोबार बंद होने संबंधी नुकसान झेलना पड़ता है, इसे बर्दाश्त करने की स्थिति में वे आम तौर पर नहीं होते। इससे पहले से आपूर्त किए गए माल की वसूली कठिन हो जाती है तथा भविष्य की आपूर्ति भी प्रभावित होती है। ऐसी स्थितियों में इन इकाइयों को समर्थन की जरूरत होती है। अतः यह महसूस किया जाता है कि एसएमई क्षेत्र को सभी व्यापक सेवाएं एक स्थल पर उपलब्ध कराने के लिए तथा लघु व्यवसाय प्रशासन, यूएसए की तरह छोटे उद्यमों को आपदा सहायता प्रदान करने के लिए अलग से एक छत्र संगठन का गठन किया जाए। भारत में इस तरह के निकाय की स्थापना के लिए औपचारिकताओं की परख करने हेतु भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है।

18. भारत सरकार नई परियोजनाओं की तथा आरंभिक वित्त प्राप्त करने के मामले में आनेवाली कठिनाइयों को दूर करने में नई पीढ़ी के उद्यमियों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय इक्विटी निधि की स्थापना पर विचार करे। एमएसएमई पर गठित प्रधान मंत्री के उच्चस्तरीय कार्यबल द्वारा यह स्वीकार किया गया है एंजेल निधि/जोखिम पूंजी जैसे पूंजी के वैकल्पिक स्रोतों तक पहुंच संबंधी एमएसएमई की क्षमता (विशेष रूप से नवोन्मेष एवं नई प्रौद्योगिकी संबंधी क्षमता) में काफी वृद्धि किए जाने की जरूरत है तथा उक्त कार्यबल ने यह सिफारिश की है कि एमएसएमई द्वारा ऐसी निधियों का उपयोग किए जाने में आनेवाली राजकोषीय/विनियामक बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किए जाने की जरूरत है।

19. देश में एमएसएमई के लिए दायित्व-रहित आढ़तिया सेवाओं का संवर्धन किए जाने की जरूरत है तथा एमएसएमई के लिए देश में दायित्व-रहित आढ़तिया सेवाओं का संवर्धन किए जाने के लिए उपयुक्त विधिक ढांचा तैयार किए जाने की जरूरत है। उद्योग संघ बहुधा बड़ी कंपनियों से भुगतान मिलने में होनेवाली देरी के बारे में अभ्यावेदन देते रहते हैं। जहां बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे एमएसई इकाइयों से की गई खरीद के

प्रति उन्हें भुगतान करने के लिए बड़े उधारकर्ता खातों के संबंध में एक उप-सीमा का आबंटन करें, वहीं बैंकों के लिए यह संभव नहीं है कि वे भुगतान करने के लिए उस सीमा के उपयोग हेतु बड़े खरीदारों को मजबूर करें। इस समस्या का समाधान फैक्टरिंग के जरिए संस्थागत तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। एमएसएमई पर गठित प्रधानमंत्री के कार्यबल ने भी यह सिफारिश की है कि एमएसएमई के लिए देश में दायित्व-रहित आढ़तिया सेवाओं के संवर्धन हेतु एक उपयुक्त रूपरेखा तैयार की जाए। रिज़र्व बैंक ने भी व्यापार ऋण संबंधी प्राप्त राशियों के प्रतिभूतिकरण पर एक कार्यदल गठित किया है ताकि परिपक्वता के पहले प्राप्य राशियों के नकदीकरण हेतु विभिन्न विकल्पों की जांच की जा सके। छोटे उद्यमियों को 96 प्रतिशत वर्जित किया गया है, अतः यह आवश्यक है कि उन्हें वित्तीय रूप से शामिल किया जाए और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लाया जाए। एमएसएमई पर गठित प्रधानमंत्री के कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य बैंकों के लिए वर्तमान में 10 प्रतिशत रखा जाए तथा कुल एमएसई उधार में सूक्ष्म उद्यमों का हिस्सा 60 प्रतिशत रखा जाए जिसे चरणबद्ध रूप में प्राप्त किया जाए अर्थात् वर्ष 2010-11 में 50 प्रतिशत, वर्ष 2011-12 में 55 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 में 60 प्रतिशत। इस संबंध में बैंकों को आवश्यक अनुदेश शीघ्र जारी किया जा रहा है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखी जाएगी।

20. रिज़र्व बैंक द्वारा गठित विभिन्न मंचों अर्थात अधिकारप्राप्त समितियों, स्थायी सलाहकार समिति, राज्यस्तरीय बैंकर समिति आदि की आवधिक अंतरालों पर बैठकें होती हैं ताकि इस क्षेत्र को ऋण प्रवाह पर निगरानी रखी जाए। यह आवश्यक है कि आधार स्तर पर प्रभाव के मूल्यांकन के लिए ऐसे मंचों/बैठकों की दक्षता पर निगरानी रखी जाए।

21. प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, नए उत्पाद शुरू करने तथा सख्त विनियामक वातावरण के साथ बैंकों को उधारकर्ता मात्र से कारोबार में सहभागी की भूमिका अदा करनी चाहिए। इस बात की जरूरत है कि बैंक ऋण सेवाओं तथा ऋणेतर सेवाओं का अभिसरण करके अपने ग्राहकों के मामलों में अपनी भागीदारी बढ़ाएं। बैंकों को न सिर्फ एमएसएमई के लिए अलग-अलग उत्पाद उपलब्ध कराने चाहिए, अपितु उन्हें नए तथा स्थापित कारोबारों को परामर्श एवं दिशानिर्देश भी देना चाहिए, विपणन संबंधी समर्थन आदि भी देना चाहिए। इसी तरह, सरकार तथा एमएसएमई क्षेत्र के विकास संबंधी अन्य संस्थाओं को एक समर्थक वातावरण, बुनियादी ढांचा तथा अग्र एवं पश्च संपर्क प्रदान करने पर फोकस करना चाहिए ताकि बैंकों द्वारा किए जा रहे ऋण संबंधी कार्य की पर्याप्त अनुपूर्ति उनके ऋणेतर कार्यों द्वारा की जाए।

22. जहांतक सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम का संबंध है, उद्यमिता और पर्याप्त क्षमता का अभाव उसकी प्रमुख विशेषता है। उद्यमिता का विकास जरूरी है क्योंकि धन के सृजन एवं रोजगार उत्पन्न करने के संबंध में उसका असर दिखाई देता है। इसे सुकर बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई के लिए गठित प्रधानमंत्री के कार्यबल द्वारा कौशल निर्माण पर बल दिया गया है। केंद्र/राज्य सरकारों को समर्थक सुविधाओं के साथ उद्यम विकास केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए ताकि न सिर्फ नयी इकाइयों की स्थापना के लिए अपितु उत्पाद की डिजाइन, पैकेजिंग, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, वित्तीय प्रबंधन और विपणन आदि के विभिन्न पहलुओं पर निरंतर शिक्षा देने के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

मैं इस संस्थान से, जो उद्यम विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों के संस्थागत प्रतिसाद के रूप में उभरा है, अनुरोध करूंगा कि यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कौशल निर्माण को सुकर बनाने का प्रयास जारी रखे।

वर्तमान में कंपनी के रूप में निगमित एसएमई इकाइयों को कंपनी अधिनियम की अनुसूची VI में निर्धारित फार्मेट में तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखे तथा अन्य प्रकटीकरणों का अनुपालन करना पड़ता है। उनके यह भी अपेक्षित है कि वे बड़ी कंपनियों के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) द्वारा निर्धारित लेखांकन मानदंडों का अनुपालन करें। चूंकि सरकार ने कंपनी अधिनियम के संशोधन के लिए पहले ही एक समिति गठित की है, अतः यह संभवतः आवश्यक है कि संशोधित कंपनी अधिनियम में एसएमई के लिए सरलीकृत प्रकटीकरण मानदंड निर्धारित किए जाएं तथा आइसीएआइ उनके लिए सरलीकृत लेखा मानदंड तैयार करे।

23. अंततः, बैंकों को रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए तथा लघु उद्यमों को आसान ऋण प्रवाह सुकर बनाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत पहलें की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

24. मैं इस क्षेत्र को समर्थन देने के लिए लघु उद्यम और विकास संस्थान को बधाई देता हूं तथा इस रिपोर्ट का विमोचन करना मेरे लिए सचमुच सौभाग्य की बात है।